न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

पीठासीन अधिकारी	:	पुरवा चतुर्वेदी, आर0जे0एस0 (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
जमानत प्रार्थना पत्र सं0	:	281/2026
सीआईएस नं0	:	527/2026

योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र उर्फ योगेश पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल मीणा, उम्र 28 साल, निवासी बालाजी का पाड़ा की ढाणी, गांव साथा, पुलिस थाना महुवा, जिला दौसा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक .....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 एफआईआर सं0 230/2026 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व अपराध अंतर्गत धारा 303 (2) बी0एन0एस0

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश चौधरी अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी सरकार।
3. श्री फतेहराम मीणा अधिवक्ता वास्ते परिवादी।

:: आ दे श :: **दिनांक : 22.06.2026**

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई, अनुसंधान पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2026 को परिवादी श्री मीठालाल मीना पुत्र बद्रीलाल मीना ने पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर पूर्व में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि ''आज दिनांक 10.05.2026 को सुबह करीब 3.30 बजे मेरी बोलेरो गाडी जिसके नम्बर आर0जे0 10 यू0ए0 7014 तथा चैचिस नम्बर MAXK2W3XH5D24546, इंजन नम्बर WJH6D29468 को किसी अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी की नीयत से चोरी कर ले गये है दिनांक 09.05.2026 को मेरे छोटे भाई मोहन लाल को बोलेरो गाडी से दीपक किराना स्टोर के मालिक दीपक शर्मा के घर से किराना का सामान लेकर रात को करीब 12 बजे प्लाट नम्बर 118 विजय नगर पर बोलेरो को खड़ी करके किराना का सामान उतारकर बोलेरो गाडी को पूरी तरह से लॉक करके गाडी की चाबी भाई का लडका आशुतोष को देकर सो गया था। सुबह करीब 6.10 बजे मेरी पत्नि मोहरी देवी ने मुझे बताया कि अपनी बोलेरो गाडी खडी नहीं है तभी मैने मकान से नीचे जाकर देखा तो पता चला कि बोलेरो गाडी खडी नही है तो मैने इसकी शिकायत की सूचना करीब सुबह 6.30 बजे पुलिस सहायता के लिए 100 नम्बर पर डायल किया गया। मौके पर पुलिस को

आने पर घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज दिखाये गये.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/2026 पुलिस थाना रामनगरिया, जयपुर में अंतर्गत धारा 303 (2) बी0एन0एस0 में दर्ज की गई तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी की जमानत का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस0 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–14, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर द्वारा दिनांक 08.06.2026 को खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से हस्तगत जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

4. अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी प्रकरण में लगातार रूप से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी का आरोपित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी के भागने या फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

6. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र उर्फ योगेश का पूर्ववर्ती/अन्य आपराधिक रेकार्ड पत्रावली के अनुसार निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं	मु0नं0	धारा	नतीजा	थाना
1.	324/22	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर
2.	340/22	379, 411, 420, 467, 468, 471, 473, 120बी भा0दं0सं0	चार्जशीट	महवा
3.	719/21	323, 341 भा0दं0सं0	चार्जशीट	महवा
4.	747/20	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	`कानोता जिला जयपुर
5.	426/19	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	मालवीय नगर, जयपुर
6.	446/18	3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट	चार्जशीट	प्रताप नगर, जयपुर
7.	140/17	379 भा0दं0सं0	चार्जशीट	बांदीकुई

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अब तक के अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 303 (2), 238 (ए), 61 (2) बी0एन0एस0 का अपराध प्रमाणित माना गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी की बोलेरो गाडी अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर चोरी कर ले जाये जाने का आरोप है। अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता दर्शित होती है। इस स्तर पर अभियुक्त की निर्दोषिता के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अभियुक्त से चोरी की गई बोलेरो वाहन की तस्दीक करवायी जानी एवं बरामदगी शेष होना बताया है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुसंधान पत्रावली में संलग्न प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार उसके विरूद्ध चोरी,

आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराधों से सम्बन्धित 07 प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त चोरी करने का आदतन अपराधी है। मुलजिम को यदि जमानत सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है तो इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह पुनः इसी प्रकृति के अपराध में संलिप्त न रहे एवं चोरी की बोलेरो वाहन को खुर्द बुर्द करने की पूरी पूरी सम्भावना है। प्रकरण में चोरी हुई बोलेरो वाहन की बरामदगी शेष होना बताया है। वर्तमान समय में इस प्रकृति के प्रकरण दिन–प्रतिदिन निरन्तर रूप से बढ़ रहे है तथा युवाओं में सरल धन प्राप्ति की प्रवृति भी वृद्धि की ओर है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं अभियुक्त के आपराधिक आचरण को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश ::

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र उर्फ योगेश पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल मीणा द्वारा प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर

9. आदेश आज दिनांक 22.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पुरवा चतुर्वेदी)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम 11,
जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर